

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then you give a notice.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we have given you the notices. There are notices given for the structured discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you have already given the notice, hon. Chairman will consider it.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, this is not about one or two political parties. This is an issue across everything because there were a lot of people in this country who would have had hope. With this hope, this Government came to power, and now they are not delivering. For 100 days ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can give notice.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, the hon. Member has raised an important issue. In consultation with the political parties, whenever the Chairman or yourself fix a discussion on this subject, the Government too is willing to have it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is all right. So, you give a notice. Those who would like to have a discussion, can give notice. The notice will be considered.

Now, we shall take up the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Amendment Bill, 2011.

**GOVERNMENT BILLS- *Contd.***

**The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Amendment Bill, 2011**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I beg to move :

That the Bill further to amend the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988, be taken into consideration.

Hon. Deputy Chairman, Sir, the main purpose of this amendment is simplification. There is no exemption to any establishment. Number two, our Government, led by our hon. Prime Minister, always insisted that our main job is transparency, accountability and proper enforcement. That is why we have brought this Amendment Bill. Under various

Labour Acts, the number of forms of Registers and Returns are prescribed. In many cases, identical data is required to be maintained in different instances. In order to provide relief to the small establishments in this regard, the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988 is enacted. It provides for maintaining combined registers and submission of simplified returns in respect of nine scheduled Acts. At present, this Act is applicable to establishments employing up to 19 persons only. There are demands from various quarters for extending the scope of this Act to establishments employing a large number of workers and expanding the list of acts covered by it. Five tripartite meetings were held with the representatives of Central Trade Unions and Employers' organisations to seek their views. In the last meeting held on 7th June, 2007, I am happy to say that, a consensus was arrived at on the following ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I object to it. There was no consensus. It is a wrong statement. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND  
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS  
(SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Let him finish his statement ...*(Interruptions)*...

SHRI BANDARU DATTATREYA: I will tell you. It will extend the coverage of the principal Act from 9 scheduled Acts to 16 scheduled Acts. This is number one. Number two is simply changing the definition of 'small establishments' so as to cover establishments that are employing between ten and forty workers as against the existing provision of ten to nineteen. Then, it will allow maintaining of registers of records in computer floppy or diskette or any other electronic media and submitting the returns through the electronic form. According to the Bill, the amendment of principal Act was introduced in the Rajya Sabha on 29th March, 2011. The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee on Labour on 1st April, 2011 for examination and report. The Committee presented its Report to the Lok Sabha on 20th December, 2011. The observations and recommendations of the Committee contained in the Report have been examined and the Government agrees with many of the recommendations for which the official amendments in the Amending Bill will require to be moved. As has been rightly pointed out by the Standing Committee, the main objective of the amendment of the principal Act, which is proposed herein, is not to give any exemptions or to give any exemptions to any establishments, but to simplify the procedure for furnishing the returns and maintaining the registers by certain establishments. Accordingly, it is also proposed to change the nomenclature of the principal Act. The question is only that the

[Shri Bandaru Dattatreya]

Standing Committee itself proposed the changing of this nomenclature. The amendment Bill incorporated the official amendments which seek to give effect to those points on which a consensus was reached during the tripartite consultations. The passage of the Bill will extend the benefit of the simplified procedure to the establishments employing up to 40 workers in respect of the registers covered under sixteen scheduled Acts. It will also provide an option to maintain registers electronically and file the returns electronically. At present, employers would be inclined to restrict the employment to a maximum of 90 workers only in order to get the benefit of simplified procedures. The amendment would decentralise the employers to increase the size of the establishments and employ workers. ...*(Interruptions)*... That is my submission ...*(Interruptions)*...

**श्री नरेश अग्रवाल** (उत्तर प्रदेश) : सर, मेरी एक आपत्ति है। क्या मिनिस्टर साहब पढ़कर स्पीच दे सकते हैं? विभाग का मिनिस्टर क्या पढ़कर स्पीच दे सकता है?

**श्री मुख्तार अब्बास नकवी** : ये प्वाइंट्स हैं... ये प्वाइंट्स हैं। ...*(व्यवधान)*... आप पहले कहेंगे कि ...*(व्यवधान)*... यह आपके कहने पर ही हो रहा है। ...*(व्यवधान)*...

**श्री उपसभापति** : नरेश जी, आप नाराज़ क्यों होते हैं? उनको पढ़ने दीजिए।

SHRI BANDARU DATTATREYA: My submission is this, that it would reduce the financial manpower. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the Deputy Chairman gave a ruling that no Member should read ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are maiden speeches not only of Members but also of Ministers. ...*(Interruptions)*...

SHRI BANDARU DATTATREYA: It is only aimed at simplification of procedure. There is no exemption of anything in this matter. As I mentioned, transparency, accountability and enforcement would be taken care of and workers' interest will also be safeguarded.

*The question was proposed*

**श्री के.सी. त्यागी** (बिहार) : सर, मेरा एक प्वाइंट है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is there. I will give you a chance.

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, मैं केवल एक मिनट लूंगा। सन् 2002 में रवीन्द्र शर्मा जी, जो उस समय लेबर कमीशन के चेयरमैन थे ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is there. I will call you at that time.

**श्री के.सी. त्यागी :** उन्होंने श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को एक रिपोर्ट पेश की थी। शरद यादव जी उस समय लेबर मिनिस्टर थे और श्री दत्तोपंत थेंगड़ी मज़दूर संघ के महामंत्री थे। उन्होंने उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया था। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can raise these points when your chance comes. उस समय बोलिए। आपको टाइम मिलेगा।

**श्री के.सी. त्यागी :** ये उन्हीं मांगों को कह रहे हैं कि यह सबकी मर्जी से हो रहा है। ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति :** आपको टाइम मिलेगा, आप उस समय बोलिएगा। अभी बोलने से क्या फायदा? ...(व्यवधान)...

**श्री के.सी. त्यागी :** बी.एम.एस. ने उसका विरोध किया, इंटक ने विरोध किया। ...(व्यवधान)...

**श्रीमधुसूदनमिस्त्री (गुजरात) :** सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज बड़े दुख के साथ यह कहना चाहता हूँ कि जिन लेबर लॉज को लाने के लिए सैकड़ों मज़दूरों ने इतने सालों के अंदर अपनी शहादत दी, उसके बाद ये सब कानून आए, उसके अंदर एक के बाद एक बदलाव आने के बाद आज उसको ऐसी स्थिति पर ले जा रहे हैं, जहां पर लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करना ही तकलीफदेह है। इतना ही नहीं, जिन वर्किंग कंडीशन के लिए, जिस वेज स्लिप के लिए, अगर वह रेग्युलर है तो appraisal के लिए मज़दूर लोग लड़े थे, उसे आज इस हालत में यह सरकार ला रही है। सर, मेरा इन पर सीधा आरोप है कि यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि पिछले चुनाव के अंदर छोटे-मोटे जो establishment वाले थे, उन्होंने मिलकर इन्हें चंदा दिया था। उसी वजह से इसे लाया जा रहा है। ऐसा मेरा साफ मानना और कहना है। सर, मैं आपको कितनी ही चीजें बता सकता हूँ। मैं फॉरेस्ट वर्कर्स की, ऐग्रीकल्चरल वर्कर्स की, जंगलों के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करने वालों की और जो आदिवासी लोग शहरों के अंदर कंस्ट्रक्शन लेबर के काम में जाते हैं, उनकी यूनियन चलाता हूँ। मैंने देखा है कि यह कानून किस पर लागू होगा। सबसे पहले तो यह पेमेंट ऑफ एक्ट पर लागू होगा, मिनिमम वेजेज़ एक्ट पर लागू होगा, कंस्ट्रक्शन लेबर पर लागू होगा, वीकली हॉलीडेज़ पर लागू होगा, फैक्टरीज़ पर लागू होगा, प्लांटेशन लेबर पर और बीड़ी, सिगरेट आदि बनाने वाले जो नीचे के तबके के लोग हैं, जिनके लिए ये सब कानून बनाए गए थे, उन पर यह कानून लागू होगा। सर, इसका सबसे ज्यादा असर जिन पर होने वाला है, वह कैजुअल लेबर है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो कानून मेशन किए हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा कैजुअल लेबर काम करती है। This is very unfortunate कि वैसे तो सरकार को आदर्श employer के रूप में माना जाता है, लेकिन सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सी.पी.डब्ल्यू.डी. है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट्स अब ज्यादा से ज्यादा कैजुअल लेबर को employ करते हैं,

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है अगर रिकॉर्ड रखा भी जाता है तो उनको दिया नहीं जाता है। इसके अंदर हालत यह है कि आज अगर थोड़ा कम्पलेशन है, थोड़ा डर लेबर डिपार्टमेंट का है तो वह इसलिए है कि अगर वहां पर यूनियन है और अगर वह कम्पलेंट करती है तो इंस्पेक्टर वहां जाकर उनके रिकार्ड चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें फलां मजदूर का नाम है या नहीं, पेमेंट ऑफ वेजेज के लिए और ग्रेच्युटी के लिए अगर आपने पांच साल में 240 दिन कम्पलीट किए हों तो आपको परमानेंट होने का अधिकार मिलता है। अभी गुजरात की हाई कोर्ट ने डिस्मिशन दिया है कि पांच साल के अंदर जिस मजदूर के 240 दिन पूरे हो गए होंगे उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह कानून और यह जजमेंट पूरे देश के अंदर लागू होगा। ऐसा करने के लिए क्या हुआ कि पूरी यूनियन को एक-एक मजदूर से कहना पड़ा कि तुम कितने दिन काम करते हो, उस रिकार्ड अपने पास रखा क्योंकि फॉरेस्ट लेबर का, कैजुअल लेबर मिलना मुश्किल होता है क्योंकि वह आज एक जगह काम करता है, कल दूसरी जगह पर और परसों तीसरी जगह पर काम करता है, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन लेबर है तो उसमें employer चेंज होते रहते हैं इसलिए किसी का रिकार्ड उसके अंदर नहीं होता और उसका सीधा असर एक्सीडेंट के केस में जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उस पर पड़ता है। सर, वैसे भी लेबर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। जब कोई इंस्पेक्टर फैक्टरी के अंदर रिकार्ड चेक करने के लिए जाता है, तो उसको या तो समझा दिया जाता है या पैसे दे दिए जाते हैं या फिर रिकार्ड के ऊपर उनको जितनी punishment देनी चाहिए, वह उतनी नहीं दी जाती है। किसी भी फैक्टरी के अंदर या जहां पर 40 से कम लोगों को रखा जाता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, खासकर जो पॉवरलूम है और जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं।

सर, स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो मजदूर को कोई रिकार्ड मिलेगा और न ही इंस्पेक्टर उनको कोई रिकार्ड देगा। उन सब को आर.टी.आई. के अंदर जाना पड़ेगा कि हमारे कितने काम के दिन इसमें हुए हैं और कितने दिन हमने काम किया है, उसका रिकार्ड हमें दे दिया जाए। सर, स्थिति बड़ी दयनीय होगी, ऐसा मैं मानता हूं। इतना ही नहीं, इस देश की पूरी वर्क फोर्स को भगवान के सहारे छोड़ दिया जाएगा, इंस्पेक्टर के सहारे छोड़ दिया जाएगा, मालिकों के सहारे छोड़ दिया जाएगा। आजकल मालिक लोग जितना रिकार्ड रखते हैं, आगे से वे इतना रिकार्ड भी उनका नहीं रखेंगे। वे उसको floppy देंगे, लेकिन उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। कौन floppy चेक करेगा और कौन से इंस्पेक्टर अभी तक इस तरह के ट्रेंड हुए हैं, इस तरह की चीजें होंगी। सर, स्थिति ऐसी है कि आज मजदूरों को minimum wage भी नहीं मिलता है। सबसे unfortunate part ऐसा हुआ है कि पूरे जितने भी ऐक्ट बताए, उनके अंदर नहीं होता है। उसको यह सरकार वापस exemption दे रही है कि आप अपना रिकार्ड रखिए और जब हमारा कोई इंस्पेक्टर आए या मांगे, तो अपना रिकार्ड देना और उनको सेटिस्फाई करना, लेकिन इसमें मजदूर कहां पर आया? अगर उसको रिकार्ड चाहिए, तो वह क्या करेगा? उसको अगर परमानेंट होना है और उसमें उसने कितने दिन काम किया है, इसका उसको कैसे पता चलेगा? अगर उसको ग्रेच्युटी लेनी है, तो उसने पूरे पांच साल काम किया है या नहीं किया है, उसके बारे में जानकारी उसको कैसे मिलेगी? ये चीजें मजदूरों को उनके पास से मिलने वाली नहीं हैं। इसकी वजह से और ज्यादा मजदूर परेशान होने वाले हैं।

सर, यह deliberately किया जा रहा है, यह मैं साफ मानता हूं। मैंने आज सुबह इस बिल को देखा है। आपने इसमें एक वर्कर की डेफिनेशन भी चेंज की है, जो इसके अंदर आता नहीं है। उसमें ऐसा लिखा है कि जो आदमी उसको तनखाह देता है, वेज देगा, वह आदमी employer गिना जाएगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर मैं principal employer हूं और मैं किसी को कांट्रेक्ट देता हूं और कंस्ट्रेक्ट वाला मजदूर है, तो उसे कांस्ट्रेक्टर तनखाह देता है, तो contractor will be the main employer and not the person who has given employment. So, contractor will be the main employer. ऐसे जो कांट्रेक्ट देने वाले हैं, उनके पास अगर किसी मजदूर का एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है, तो उनके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते या वे छोड़कर चले जाते हैं या मजदूरों को उनके हाल के ऊपर छोड़ देते हैं। Definition itself will be very damaging to the working class of this country. It is to be withdrawn and should not be accepted. सर, जो बीड़ी वर्कर्स काम करते हैं, मेरे ख्याल से उनका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। यह मैं साफ मानता हूं। सर, इतना ही नहीं, नरेगा के जो मजदूर हैं, वे 100 दिन काम करते हैं। वैसे तो seasonal workers हैं, लेकिन इस कानून से, अगर मिनीमम वेजिज़ से भी उनको exemption देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जो चाहे वह तनखाह या जो चाहे वह wage उनको दे सकती है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति child labour की होगी और सबसे ज्यादा खराब स्थिति building and other construction labour की होगी। Building and other construction labour के अन्दर जो किसान लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास इरीगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसे लोगों की जब फसल नहीं होती है, तो वे शहर में जाकर unskilled labour का काम करते हैं। इसके अंदर आदिवासी लोग भी आते हैं, इसके अंदर small and marginal farmers भी आते हैं और खेत मजदूर भी आते हैं। इन लोगों को कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए हरेक मालिक से एक या दो परसेंट सेस लिया जाता है और मुझे यहां यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारी गुजरात की सरकार के करीब 400 करोड़ से भी ज्यादा रुपये इकट्ठे किए हैं, लेकिन आज तक उनके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। नकवी जी, आप सिर मत हिलाइए। आप जाकर जरा तलाश कर लीजिए। नरेन्द्र मोदी जी के गुजरात सरकार जो उस वक्त में चलती थी, उसने क्या किया, इसका आपको पता चलेगा। सबसे ज्यादा flaws जो लेबर लॉज के हुए हैं, वे गुजरात के अंदर हुए हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जरा तलाश कर लीजिए। आप उनके सामने नहीं बोलेंगे। सर, यह जो हकीकत है, मैं इसके ऊपर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति तो और भी खराब हो गई है। आज law तो है लेकिन वह hardly कहीं पर इम्प्लीमेंट हुआ हो, ऐसा इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर, यह जो पूरा लिब्रलाइजेशन का पीरियड है, इसमें सबसे ज्यादा केजुअल्टी अगर किसी डिपार्टमेंट की हुई है, तो वह लेबर डिपार्टमेंट की हुई है। इसको न तो कोई पैसा दिया गया है, न ही इसको कोई पावर दी गई है, न ही उन बाल-मजदूरों के ऊपर कोई केस किया जाता है और न ही लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल कोर्ट के अंदर जजेज रखे जाते हैं। इस वजह से यह जो पूरा वर्किंग क्लास का सेक्शन है, that is the most effective. यह जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट है, आप इसको देख लीजिए। कहीं पर कोई भी डैम बनता हो, तो

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

आप उसको देख लीजिए। कोई भी हाईवे बनाता हो, आप देख लीजिए। यहां पर हाईवे अथॉरिटीज के लोग बैठे होंगे, मैं उनको बता रहा हूं कि आप हाईवे अथॉरिटीज के मिनिस्टर को बता दीजिए। अगर कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग मकान बनाते हैं, सर, वे लोग इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर्स को लेकर आते हैं और वे छोटी-छोटी, जरा-जरा भी उसके अंदर 10X10 की झुग्गी बनाते हैं। हमारे यहां सेक्रेटेरिएट बन रहा है। उस सेक्रेटेरिएट के अंदर टिन-शीट लगाकर, पांच, सात या दस-दस फुट की झुग्गी बनाते हैं। महाराष्ट्र से माइग्रेट वर्कर्स शूगरकेन के काम के लिए पूरे गुजरात के अंदर जाते हैं। वे वहां पर छोटी-छोटी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। इस काम के लिए वहां पर कोई इंस्पेक्टर नहीं जाता है और न ही कोई लेबर लॉ इन्फोर्स करता है।

सर, इस कानून से इन लोगों को इतनी छूट मिलेगी, जिसकी वजह से वे कोई भी चीज रखने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अंदर सबसे ज्यादा केजुअल्टी होगी। मेरी पार्टी ने कहा है कि हमने इस बिल को सपोर्ट किया है, इसलिए मैं भी इसको सपोर्ट कर रहा हूं। वैसे मैं इसका भारी विरोध करता हूं और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। यह सरकार मजदूर विरोधी है, ऐसा मेरा आरोप है। खासकर जो छोटे तबके के मजदूर हैं, जो इस कानून के अंदर काम करते हैं, वे इसके विरोधी हैं। इस सरकार ने उन लोगों से वोट लिया है, लेकिन अब यह सरकार उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक) :** उपसभापति जी, श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011 के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ये अमेंडमेंट्स सभी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। नए तंत्र ज्ञान का उपयोग लेबर लोग नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी देश में जैसे ही “जन-धन-योजना” लागू हुई, केवल दो महीने में ही डेढ़ करोड़ लोगों ने बैंक में अपना खाता खुलवाया। जमाने की परिस्थितियों के अनुसार लोग अपनी कार्य-शैली बदल रहे हैं। उसी के अनुसार इस बिल में भी जो छोटी-मोटी खामियां हैं या कमियां हैं, उनको दूर करते हुए एक नए फॉर्मेट के द्वारा इसको लागू करने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इसके साथ ही जो अलग प्रकार के लेबर हैं, उसमें जहां एकदम छोटा एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनको पहले लम्बा-चौड़ा फार्म भरना पड़ता था। इसमें उनको कुछ चीजों से एग्जेंप्शन दी गई है। इसका काम छोटा है, लेकिन इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है और कागजात पूरे करने में ही काफी समय निकल जाता है। अगर इस तरह के ज्यादा कानून बनेंगे, तो फिर इनको अपना धंधा ही बंद करना पड़ेगा। इस नियम के अंदर जितने भी कानून बने हैं, ये टोटली सार्वजनिक लेबर्स के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मैं इस दृष्टि से इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि सभी सदस्य इसके अनुकूल अपना मत दें। इसके साथ ही साथ जो अलग-अलग प्रकार के लेबर्स हैं और जो एक से लेकर 16 नम्बर तक आते हैं, उनके बोनस आते हैं, उनकी other facilities आती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर है, चाइल्ड लेबर है और डाक वर्कर है, इन अलग-अलग प्रकार के लेबर्स के हितों को ध्यान में रखकर ही इस नियम को बनाया गया है। इस फॉर्मेट

में मेजर चेंजेस हैं। फॉर्मेट में चेंजेस इसलिए लाए गए हैं ताकि इसको कम्प्यूटराइज़ करके भविष्य में लोगों को बेनिफिट मिल सके। सरकार की साफ़ नीयत होने के कारण ही इसको लाया गया है। जैसे, पहले जो भी लेबर रिटायरमेंट होती थी, उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आते ही उसको कम से कम 1000 रुपये महीना देने का नियम लागू किया है।

दूसरी बात यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकार के पास इन गरीब लेबर्स के जो 27 हजार करोड़ रुपये बचे हैं, एक बार जब यह फॉर्मेट कम्पलीट होगा, पूरा हो जाएगा, तब उनके नम्बर मिल जाएंगे, फिर वह देश के चाहे किसी भी भाग में रहे, एक्सेप्ट जिसका स्वर्गवास हुआ है, वह पैसा उसके एकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सरकार उन गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर ही इस कानून को ला रही है, इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि गरीबों के अहित को ध्यान में रखते हुए अपनी वोट की राजनीति के कारण ही यह सरकार इस कार्य को कर रही है। यह कहना गलत है। भारत में पहले से ही लेबर्स के 27 हजार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, जिसको निकालने के लिए हमारी सरकार नये-नये रास्ते खोज रही है और सरकार ने इसको तेज गति से करना शुरू भी किया है। हो सकता है कि थोड़े ही समय में इसमें बहुत बड़ी मात्रा में, जो लेबर अलग-अलग काम करके चली गई है, जैसे किसी ने असम में काम किया है और अब बंगाल में आया है, लेकिन वहां जाकर हजार, दो हजार रुपये नहीं ले सकता है, अब वह पैसा लेने की सुविधा भी उसको मिलेगी। यह अंतर केवल एक फॉर्मेट में करने भर का है।

दूसरा, इस चीज़ का सरलीकरण किया गया है ताकि जो छोटे-छोटे कारखाने हैं, जिनमें कम से कम लेबर्स हैं, उनको फॉर्मेट भरते समय अनावश्यक रूप से ज्यादा चीज़ों को न भरना पड़े। इसमें कहीं भी लेबर के अहित के बारे में नहीं सोचा गया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बिल को लाया गया है, इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। सभी कर्मचारियों के हित की दृष्टि से, जो उनकी सुविधा है, एकाउंटेबिलिटी है, उनकी सेवा है, अलग-अलग समय में होने वाली जो हानियाँ हैं, ये सभी चीज़ें फॉर्मेट में लाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट इससे अलग बनाया गया है। इन चीज़ों को लेकर सरकार जो बिल लाई है, वह कर्मचारियों के हित में लाई है, इसलिए सरकार इस बिल को पास करे, मैं ऐसी विनती करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद श्री बसावाराज पाटिल जी। Now, Shri D. Bandyopadhyay.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I stand to oppose this Bill. I oppose the Bill for various reasons. I have some credentials in the field of labour. As an IAS officer for 36 years, I had the opportunity to serve in West Bengal as Labour Commissioner, as Secretary (Labour) and also as Joint Secretary (Labour) in the Central Government. So, I think I have some credentials to speak about it.

To put it very simply, this is an anti-labour law, and it is draconian in its measures. This Government's *maha mantra* is the three D formula -- de-control, disinvestment



[Shri D. Bandyopadhyay]

and de-regularization. But the mixed economy that was developed under the Nehruvian Model had struck deep roots in our society. The public generally has high expectations from the Government. This Government is bent upon dismantling that structure for the exclusive benefit of the predators of our economy. But they are very clever. Not wanting to do so at a stroke, they are doing it through a slow process.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI V.P. SINGH BADNORE), *in the Chair*.]

Sir, an iceberg shows only one-tenth of its mass above water keeping nine-tenth of it under water. The invisible part of the iceberg is more dangerous than the visible part. The invisible part of the iceberg tore off 300 feet of the Titanic's bottom-line, resulting in its sinking. This Bill looks very simple. On the face of it, it appears to be innocently technical. Currently, all establishments, employing more than 19 persons have to give returns regularly about employment, wages or other things. This Bill seeks to substitute the word "Nineteen" by a simple word "Forty". The purpose is to give relief to the owners of small establishments. But its effects on the labourers will be highly injurious. Subject to corrections, it is estimated that 70 per cent of the establishments now submitting returns will be exempted. They don't have to submit any returns and these establishments employ, according to estimates, -- I am subject to correction -- about 80 per cent of the total labour force. Thus to give relief to owners of establishments employing up to 19 workers, the bulk of the labour force would lose all legal protections that they have today. This is, ethically, wrong and legally injurious to the interests of the working class. Thus, the bulk of the economy would be handed over to a group whose main purpose is only to make money and to feather their own nests. This is juridically untenable because the legal protection, that these people have for so long, would be lost without any alternative protective legal cover. Thus, both ethically and juridically, this Bill is flawed. Hence, we oppose it and make a fervent appeal to the Government to withdraw the Bill in the interest of the working class. Thank you.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, thank you for giving me this opportunity,

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं अपने कांग्रेस के साथी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, जब वे इस बिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने इसमें काफी खामियाँ बताई और कहा कि यह बहुत ही गलत होने जा रहा है, जो इस तरीके का बिल लाया जा रहा है, लेकिन जब मैंने इसको पलट कर देखा, तो यह 2011 का बिल है और शायद यह उन्हीं के समय का बिल है। इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में भी, जो आज सर्कुलेट हुआ है, तारीख 23 फरवरी, 2011 प्रिंटेड है, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का समय था। Why this Bill is being

introduced is mentioned in the Statement of Objects and Reasons. The Bill was prepared by them. चूँकि आज यह बिल इसके द्वारा पेश किया गया है, तो इन्होंने सोचा कि इसको ऑपोज़ करना जरूरी है। इसलिए इसको ऑपोज़ किया गया, लेकिन उससे ज्यादा ताज्जुब तब हुआ कि जो इस समय सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा बिल है, इसलिए हम लोग इसे लाए हैं। हम लोग इसे लाए हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि वे समझे कि यह आज टेक अप हो रहा है, इसलिए वे लाए हैं। उन्होंने इसे आज पास कराने के लिए पेश किया है, इसलिए वे लाए हैं। उन्होंने इसे आज पास कराने के लिए पेश किया है, लेकिन यह बिल यू.पी.ए. सरकार का था, जो आज उधर से आ रहा है, जिसका सपोर्ट वे कर रहे हैं। एक तरीके से यह बिल तब की जो यू.पी.ए. गवर्नमेंट थी, उसका था और आज उसको ये पास कराने के लिए लेकर आए हैं।

जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है, इसमें मुझे यह कहना है कि यह बिल exemption from furnishing returns and maintaining registers by certain establishments तक सीमित है। यह बिल बाकी चीजों के लिए नहीं है, जो अभी कही गईं। अभी बहुत सी चीजें कही गईं। उनमें जन-धन की बात भी कही गई, और चीजें भी कही गईं। मुझे बिल में ये चीजें देखने को नहीं मिलीं। उसे जनरलाइज़ करके शायद हर मामले में उठाना जरूरी है, तो यह बात दूसरी है कि उसे कहा जाएगा। कोई भी इश्यू एराइज़ होगा, तो उस तरह की चीजें कही जाएंगी, लेकिन वे सब चीजें इस बिल से सम्बन्धित नहीं थी। इस बिल में यह जरूर देखने को मिला कि जहां 19 एम्प्लाइज़ थे, उसको बढ़ा कर अब 40 कर दिया गया है and that will be for a small industry. हम लेबर ओरिएण्टेड बिल की बात कर रहे हैं, हम लेबर के हक की बात कर रहे हैं। आपने इस शैड्यूल में इतने एक्ट्स डाल दिए हैं, जिसमें almost every Act is included which concerns the Labour Law, and nothing remains after these 16 Acts. And these labourers, who are working under them, are the persons who are getting meagre wages. Most of them are not paid the minimum wages. I had the opportunity to contest a large number of cases on behalf of the labourers and they can't even afford lawyers because they have to first go before labour offices, then to Labour Tribunals, to High Courts and to the Supreme Court, which is impossible. But there were some binding features and categories under various Acts which had to be followed by these employers who were employing them. Now it appears that the labour class has been done away with. It is interesting that the Bill was brought in 2011. They had decided to do it. Now this Government has brought the Bill for being passed. The reason given by the hon. Minister and it is given in the Bill also, is that it is an age of computer, and therefore, everything will be there in the computer and we need not fill in the forms. Sir, kindly look into the provision. You are saying that you will keep it in a computer floppy, and keep it with yourself. You will not give it to the labour; you will not give it to the union and you will not give it to others, those who are the affected persons. But if the inspector comes, if he demands, then you can show it to him. So, the purpose of all the requirements and putting certain restrictions in

[Shri Satish Chandra Misra]

all these 16 Acts was to see that the labour class was not subjected to harassment and they were, at least, paid the minimum wages and whatever they were entitled to. Under the Act, certain restrictions were imposed, the employers were forced to fulfil all these conditions, fill in these forms, and give them to the concerned authorities, and now you say that that is not required. You are saying that by taking it from 'nineteen' to 'forty', it will be a small unit or establishment. As on date, in almost every business establishment which is there, the labour force is being reduced on account of computerization. If you had brought it from 'nineteen' to 'ten' it would have been a bit understandable. But you are saying that by making it 'nineteen' to 'forty', it will be a small unit. The labour force is already being reduced everywhere. In various units which are working, the labour force is getting reduced day by day. So, by making it 'forty', literally they will be out of the clutches of various Acts, which are there. In any case, since the amendment to this Act was sought to be brought in 2011 by the UPA Government and now you have brought it, I would request you to take this into consideration. This Bill will be passed. But you have to keep in mind the purpose behind all this which was in existence. These labour laws were there to keep in mind that the labour class is protected and they are not subjected to the harassment of employers, and they are not subjected to the harassment of all sorts of categories in the hands of the employers. All these labour laws were there for this purpose. But doing away with this, probably, will be a disservice to the labour class. Thank you.

**श्री के.सी. त्यागी :** उपसभाध्यक्ष महोदय, 1999 में जब एन.डी.ए. की सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय श्री रवीन्द्र वर्मा जी की अध्यक्षता में Second Labour Commission का गठन किया गया था, जिसका रिपोर्ट जून, 2002 में श्री वाजपेयी जी को सौंपी गई थी। उस समय श्री शरद यादव जी लेबर मिनिस्टर थे और श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के वनिष्ठ नेता और मजदूर संघ के महामंत्री थे। सब लोगों ने उस रिपोर्ट को एन.डी.ए. के पहले शासन काल में लागू नहीं होने दिया, क्योंकि जो विदेशी पूंजी लगाने वाले लोग हैं और जो देश का बड़ा पूंजीपति वर्ग है, ये लोग मजदूर कानूनों में अपनी मर्जी से तबदीली करके, उनके श्रम का शोषण करने के लिए इन नियमों को बनाना चाहते हैं। यू.पी.ए. के शासन काल में भी उन वर्गों की यही माँगें रहीं, लेकिन उस समय भी ये श्रम कानून लागू नहीं हो सके, क्योंकि श्रम कानून श्रमिकों के खिलाफ और पूंजीपतियों के हक में हैं। देश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि अगर विदेशी पूँजी आती है, तो इन श्रम कानूनों की वजह से विदेशी पूँजीपति निवेश करने में घबराता है और जो देशी पूँजीपति है, वह भी यह कहता है कि यह निर्यात प्रतिद्वंद्विता में बाधक है और उत्पादन घटता है। तो देश में एक ऐसी हवा चली है, ऐसा वातावरण बना है।

सर, इसका नाम 'श्रमिक सुधार' रखा गया है। यानी श्रमिकों को गला घोटने के लिए जो

कानून बना है, उसका नाम 'श्रमिक सुधार' है। कैसी दुनिया में हम जा रहे हैं? अब अगर हम इसका विरोध करते हैं, तो हम दक्षिणपंथी और दकियानूसी हैं, प्रगति में बाधक हैं। आज की नयी दुनिया के नये कानून जो बड़े लोगों के पक्ष में बन रहे हैं, अगर हम उनका विरोध करते हैं, तो हम लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं, हम समाज को आगे नहीं देखना चाहते और जो वर्ल्ड क्लास दुनिया बन रही है, हम उसके समर्थक नहीं हैं।

सर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतिहास से हमारी पार्टी के नेता, जोकि उस समय लेबर मिनिस्टर थे, उनसे मैंने सुबह जानकारी हासिल की। उन्होंने भी और भारतीय मजदूर संघ नेताओं ने भी उस समय इन नियमों का विरोध किया था। आज आप जिस विधेयक पर बहस कर रहे हैं, आगामी 5 तारीख को पूरे देश के मजदूरों तथा INTUC, BMS, CITU, AITUC और UTUC आदि सारी मजदूर यूनियनों ने इकट्ठा होकर इस काले बिल का विरोध करने का फैसला किया है। ऐसे एक्ट कभी अंग्रेजों के जमाने में आते थे, तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वे गांधी जी के नेतृत्व में इन काले नियमों का विरोध करते थे, लेकिन अब तो दुनिया खुली हुई है, बाजार खुला हुआ है और मिनिमम गवर्नमेंट है, मैक्सिमम बाजार है, इसलिए इस नयी दुनिया में इन चीजों का विरोध करना भी जोखिम लेना है तथा प्रगति विरोधी होने का इलजाम लगने का भी डर है। सर, मैं इन काले कानूनों को विरोध इसलिए करना चाहता हूँ कि जिस एन.डी.ए. की सरकार ने इसको नकार दिया था, जहाँ से आप आते हैं, राजस्थान में ये नियम लागू हो गये। मध्य प्रदेश के अन्दर लागू होने की बात है, जहाँ ठेंगड़ी साहब ने इतना बड़ा आन्दोलन चलाया था। मुझे हुकुम चंद कछवाहा जी की भी याद आ रही है। 1967 के मध्य प्रदेश के साथी यहाँ पर होंगे, जो यहाँ दिल्ली में गेट मीटिंग करके मजदूरों को इकट्ठा करते थे। ये आज के दिन मजदूरों के आन्दोलन के खिलाफ माहौल बनाने के दिन हैं। ये बड़ा पैसे वाला है, वह कोई छोटा-मोटा नहीं है। अब ये जो नये श्रम कानून हैं, ये कोई एक नहीं हैं, बाजार की मर्जी के अनुकूल दुनिया बनायी जा रही है। किसानों की दुनिया भी ऐसी हो जाए, मजदूरों की दुनिया भी ऐसी हो जाए, जहाँ जो विदेश वाले लोग हैं, डब्ल्यू.टी.ओ. वगैरह-वगैरह है, डब्ल्यू.टी.ओ. के एजेंडा में भी यह है, किसानों के लिए भी है और मजदूरों के लिए भी है कि खबरदार जो कोई ऐसा कानून बनाया।

सर, मुझे अपने बचपन के दिनों का जमाना याद है। एक मजदूर अगर फैक्ट्री से निकलता था, पूरी साइट के मजदूरों की हड़ताल होती थी। अब पूरी की पूरी साइट के मजदूरों की फैक्ट्री बंद कर दी जाती है और कोई हल्ला-गुल्ला नहीं होता। ऐसा ही माहौल पूँजीपति वर्ग चाहता था, जिनकी मर्जी की दुनिया आज बन गयी। कुछ हमारे दायें बाजू वाले मित्रों ने किया और कुछ हमारे बायें बाजू वाले मित्र करें। बायें बाजू वाले लेफ्ट पार्टीज के नहीं, उधर वाले हमारे पुराने साथी। सोच में कोई फर्क नहीं है। अभी मैं मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जी का पढ़ रहा था। मैंने कहा श्रम कानूनों में परिवर्तन हो और उधर से कोई चीज न उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया इससे भी ज्यादा सख्त कानून बनाने के पक्षधर थे, जो उधर वाले हमारे साथी अब बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टियों चाहे उधर की हों या उधर की हों, जो मेहनत करने वाला आदमी है, उसके काम के घंटे बचेंगे या नहीं बचेंगे, उसको छः घंटे का काम देकर दस घंटे में दस्तखत कराये जाएँगे और इन कानूनों के जरिए--मैंने मारुति की हड़ताल देखी थी। मारुति

[श्री के.सी. त्यागी]

के जो जापानी मालिक हैं, वे चाहते नहीं हैं कि पत्ता भी गिर जाए, उनको ऐसे गुलामों की यूनियन वहाँ पर चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो मजदूर दिवस से लेकर तमाम दुनिया भर के मेहनतकश लोगों ने अपने वर्गों के लिए बनाये थे, सारे कानून बदले जा रहे हैं। भारतीय मजदूरों के आन्दोलन के इतिहास का वह काला दिन माना जाएगा, जिस दिन यह सरकार इस बिल को पास करेगी। सर, ग्रेच्युटी का क्या होगा? अब कोई भी छोटी यूनिट का मालिक.... शरद जी बैठे हुए हैं, इन्होंने उन दिनों मुझे बताया था कि कितना बुरा कानून आ रहा है। सौ मजदूरों की फैक्ट्री होगी, इस्पेक्टर राज की बात कहते हैं। इस्पेक्टर राज क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट क्या है? फैक्ट्री बंद कर दो, सरकार से मत पूछो, बस लेबर कमिशनर से पूछो, आपने इस तरह से उसको फैक्ट्री बंद करने का अधिकार दे दिया। उसमें मजदूरों का जो पी.एफ. है, उसके बारे में कुछ नहीं है। महिला मजदूर भी हैं, उनकी नाइट शिफ्ट का भी है। हमारे यहां तो इस तरह के भेड़िए हैं, जिनके कारण दिन में भी हमारी माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में अगर आपने रात ज्यूटी लगा दी, तो राज्य सभा में रोज-रोज-नए-नए रेजोलूशन पास करने पड़ेंगे। ... (समय की घंटी)...

मूलतः यह बिल भारत की जो प्रभुसत्ता है, उसकी जो सार्वभौमिकता है और दो-तीन सौ साल का गरीब मेहनतकश मजदूरों का जो इतिहास है, जिन्होंने कुर्बानी देकर यह कानून अपने पक्ष में बनाया था, उसका गला घोटने वाला है। यह मजदूर विरोधी बिल, जो इन्होंने 'श्रम सुधार' बनाया, यह श्रम का नाश करने वाला विरोधी कानून है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूँ।

**श्री शरद यादव (बिहार) :** उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब रवीन्द्र वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, हमारे साथी ने सब कुछ बोल दिया, दत्तात्रेय जी, उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और आपकी पार्टी के बहुत लोग थे, जो हमारे हक में थे, उसे मैंने अलमारी में बंद कर दिया था। मेरी मिनिस्ट्री चली गई, लेकिन मैंने इस देश के मजदूरों के हक में उस रिपोर्ट को जो बहुत मोटी थी, ताले में बंद किया था। इसको याद रखिएगा।

**SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu):** Hon. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to my leader, Puratchi Thalaivi Amma and also thankful to you for giving me an opportunity to discuss the Labour Laws Bill. Sir, I welcome the points of this Bill with some suggestions. First, to revise the definition of the expression "small establishment" in which not less than ten and not more than forty persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months within the meaning of that expression, instead of not less than ten and not more than nineteen persons, as at present. Secondly, to provide maintenance of registers and returns in computer and computer floppy, diskette or other electronic media and to submit returns through electronic mail. As far as Tamil Nadu Government is concerned, Sir, my leader hon. Amma is effectively enforcing various labour legislations for protecting the interest of the workers. It has been implementing various acts to maintain good industrial relations and to promote the welfare of workers.

Further,' Sir, my leader hon. Amma's Government at Tamil Nadu has taken various initiatives for eradication of child labour and for declaring the State "Child Labour Free". The State of Tamil Nadu has drawn up an Action Plan for eradication of child labour in the year 2003 under the dynamic leadership of my leader, hon. Amma. Further, Sir, the National Child Labour project is functioning in 15 districts of Tamil Nadu. As on 1.4.2014, 11,345 children are enrolled in 320 special training centres. So far, 90,985 children were mainstreamed into regular schools. Former child labourers are studying in medical colleges, engineering colleges, arts colleges and technical institutions. I ask the Government -- this is the main point, please note it down, Sir -- the definition of "employee" under the Minimum Wages Act of 1948, may be enlarged so as to bring the teachers within the purview of the definition, by amending Section 2(1) of the said Act as amended in the Payment of Gratuity Act, 1972. Section 2(1) of the Minimum Wages Act of 1948; Sir, 'employee' means any person who is employed for hire or reward to do any work, skilled or unskilled, manual or clerical, in all scheduled employment. Here, teachers have to be included for the purpose of Gratuity Act. Another point is that the Inter-State Migrant Workmen Act, 1979, applies to every establishment in which five or more inter-State migrant workers are employed and to every contractor where five or more inter-State migrant workmen are employed. The principal employers and contractors tend to take shelter under this provision to circumvent their obligation under the Act. This necessitates suitable amendments to make laws applicable to all establishments and contractors employing inter-State migrant workmen so that the interests of inter-State migrant workmen are protected.

Further, the Central Government has introduced the National Textile Workers Rehabilitation Fund Scheme. Under Section 25(0) of the Industrial Disputes Act, on or before 06-06-1985, an amount of Rs. 40 crores have been allotted for this rehabilitation scheme. Sir, 43 textile industries remained closed for a long period of time in Tamil Nadu was communicated on the basis of the consent given by the management and trade unions from 37 textile mills. The Government of Tamil Nadu had declared them as closed under Section 25 (O) of the Industrial Disputes Act. But, the proposal sent to the Government of India was not accepted on certain technical grounds. So, the Central Government may relax the conditions and release the relief amount so that the workers of 37 textile mills in Tamil Nadu will be benefited.

The Government of Tamil Nadu has increased the unit cost of a house under the revised Integrated Housing Scheme for Beedi Workers in 2007 to Rs.1 lakh with State subsidy of Rs.60,000 without altering the Centre's subsidy of Rs.40,000. So, the

[Shri S. Muthukaruppan]

Government of Tamil Nadu has requested the Government of India to issue revised guidelines to implement the scheme through the State Government. The revised guidelines are awaited.

Further, during 2010-11, the Government of Tamil Nadu has issued orders for Rs.115 lakhs to procure medical equipment to ESI hospitals and vehicles. But the ESI Corporation has issued concurrence only for Rs.11 lakhs. Hence, the medical equipment and vehicles have not been procured.

Further, as per the instructions of the ESI Corporation, a detailed proposal for Rs.12.25 crores for screening and treatment of non-communicable disease viz. blood pressure, diabetes, cancer cervix and breast cancer had been submitted to the ESI Corporation, New Delhi, during August, 2010. A fresh proposal had also been prepared and submitted to the ESI Corporation for Rs.12.75 crores for sanction and concurrence during February, 2014. Many efforts on many occasions have been made by the officials of the Tamil Nadu Health System Project with the officials of the ESI Corporation. But, till now, the concurrence of the ESI Corporation has not been received.

The ESI Corporation, New Delhi, has instructed to open AYUSH units in ESI institutions. Accordingly, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy units have been started in ESI institutions. During 2013-14, the then hon. Minister of Labour announced on the floor of the Assembly that Siddha units will be opened in four ESI dispensaries *i.e.*, at Nandambakkam, Periyanaickenpalayam, Vickramasingapuram and Virudhunagar and homeopathy units will be opened in 2 ESI dispensaries at Tuticorin and Kovilpatti. Many efforts were made by the Department of Labour and Employment, Government of Tamil Nadu. But, till now, concurrence for opening up of the above units has not been received in this office. A revised proposal has also been submitted to the ESI Corporation, New Delhi.

Further, speedy action may be taken to open ESI hospitals at Tirupur, Tuticorin, Sriperumpudur and Kanyakumari. Furthermore, Sir, my main point to the Government of India is that the teachers ought to be included as employees under the Minimum Wages Act. Further, under the National Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme, as far as Tamil Nadu is concerned, Rs.40 crores should be released. Furthermore, speedy action may be taken to open ESI Hospitals in Tirupur, Tuticorin, Sriperumbudur and Kanyakumari districts. Thank you very much, Sir.

---